

## نبی ﷺ کی نماز کا تریکا

پاریشیٹ (جِمیما)

گانے، تاس्वीر، سیگرےٹ نوشی، دا�ی مुंڈانے اور  
مَدْرَسَہ کے لیے تختہ نوں سے نیچے کپڑا لٹکانے سے  
ہوشیاری

سُنْکَلَن

ابُو عَبْدِ اللَّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللَّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللَّٰهِ (رَحْمَةُ اللَّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ)

مُعَاذَمَاد بْنُ سَالِهٖ اَلَّا تَسْمَعُ اَلَّا تَسْمَعُ اَلَّا تَسْمَعُ (رَحْمَةُ اللَّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ)

ابُو عَبْدِ اللَّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللَّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللَّٰهِ (رَحْمَةُ اللَّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ)

انواعِ دَعَاء

جَاهِيرَ رَحْمَةُ اللَّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ



Hindi  
الهندية  
हिन्दी

# صفة صلاة النبي ﷺ

عليها:

التحذير من الغناء، والتصوير، وشرب الدخان، وحلق  
اللحية، والإسبال للرجال

تأليف

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ترجمة

ذاكر حسين وراة الله

مراجعة

قطب الله محمد



Hindi

الهندية

हिंदी

© المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد و توعية الجاليات بالريوة، ١٤٤٠ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وراثة الله، ذاكر حسين

صفة صلاة النبي ﷺ يليها: التحذير من الغناء والتصوير وشرب الدخان وحلق اللحية  
والإسبال للرجال. اللغة الهندية . / ذاكر حسين وراثة الله. - الرياض، ١٤٤٠ هـ

٦٤ ص، ١٢ سم x ١٦,٥ سم

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٨٢٤٩-٣١٤

١- الصلاة      ٢- المعاصي والذنوب      أ. العنوان

٢٥٢,٢ ديوبي      ١٤٤٠/١٦٨٣

رقم الابداع: ١٤٤٠/١١٤٦٨

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٨٢٤٩-٣١٤



This book has been conceived, prepared and designed by the Osoul International Centre. All photos used in the book belong to the Osoul Centre. The Centre hereby permits all Sunni Muslims to reprint and publish the book in any method and format on condition that 1) acknowledgement of the Osoul Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or amendment of the text is introduced without reference to the Osoul Centre. In the case of reprinting this book, the Centre strongly recommends maintaining high quality.

☎ +966 11 445 4900

📠 +966 11 497 0126

✉ P.O.BOX 29465 Riyadh 11457

✉ osoul@rabwah.sa

🌐 www.osoulcenter.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान  
(कृपालु) निहायत रहम करने वाला (दयालु) है



## नबी ﷺ की नमाज़ का तरीका

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على رسوله محمد، وآلها، وصحابها. أما بعد:

सारी तारीफें एक अल्लाह के लिए हैं। दुरुद व सलाम (रहमत व शांति) नाजिल हो उसके बडे और रसूल मुहम्मद तथा उनके आल व औलाद और उनके अस्हाब पर। अम्मा बा'द (तत्पश्चात्):

नबी ﷺ की नमाज़ के तरीका के बयान में यह चंद मुख्तसर बातें हैं, जिन्हें मैं ने हर मुसलमान मर्द व औरत की खिदमत में इस ग़र्ज़ से पेश करना चाहा कि हर वह शख्स जो इन से वाकिफ़ (मुत्तलअू/सूचित) हो, नमाज़ की अदायेगी में नबी ﷺ (को अपना नमूना तथा आदर्श बना कर उन) की इक्तिदा (अनुसरण) करने की कोशिश करे। क्योंकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«صَلُّوْكَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». [رواه البخاري]

«तुम उसी तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुम ने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है» [बुखारी]

और अब क़ारेईन (पाठकों) की खिदमत में ‘नबी ﷺ की नमाज़ का तरीका’ पेश किया जा रहा है:



नमाजी अच्छी तरह बुजू करे, यानी अल्लाह तआला के फ़रमान पर अमल करते हुये हूबहू उस तरह बुजू करे जिस तरह उसने करने का हुक्म दिया है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:





﴿يَتَأَبَّلُ الَّذِينَ أَمْنَوْا إِذَا قُفِّتَمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَاقِقِ وَأَمْسِخُوا بُرُءَ وَسُكُونَ وَأَنْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنَ﴾ [الإِنْذِيرَةُ: ٦]

“ऐ ईमान वालो! जब तुम नमाज़ के लिए उठो तो अपने मुँह को, और अपने हाथों को कुहनीयों समेत धो लो, और अपने सरों का मसह करो, और अपने पाँव को टख्नों समेत धो लो।” [अलमाइदा: 6]

और नबी ﷺ ने फरमाया:

«لَا تُقْبِلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» [رواه مسلم في صحيحه]

«तत्त्वारत (वुजू) के बगैर कोई नमाज़ कबूल नहीं होती, और खियानत के माल (हराम माल) का कोई सदका कबूल नहीं होता।»  
[सहीह मुस्लिम]

इसी तरह नबी ﷺ ने उस शख्स से फरमाया जिस ने (जल्दबाज़ी करते हुये) सही ढंग से नमाज़ अदा नहीं की थी:

«إِذَا قُفِّتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ». [رواه البخاري]

“जब तुम नमाज़ के लिए उठो तो कामिल तरीके (पूर्णरूप) से वुजू करो।”



नमाजी जहाँ कहीं भी हो अपने पूरे जिस्म (शरीर) के साथ किल्ला रुख हो कर (यानी कअब्बा की ओर अपना चेहरा करके) फर्ज़ या नफ्ल जिस नमाज़ का इरादा रखता है दिल से उसकी नियत करे। जुबान से उसकी नियत न करे, क्योंकि जुबान से नियत न तो नबी ﷺ ने की और न ही आपके सहाबा किराम ﷺ ने की।

﴿نَمَاءُ اِنْجَانٌ اِنْ اِمَامٌ يَا مُنْفَرِيدٌ﴾ (अकेला नमाज़ पढ़ने वाला)





है तो सुन्नत यह है कि वह अपने सामने सुतरा रख ले, क्योंकि नवी  ने इसका हुक्म दिया है।

 ३ नमाज़ में किल्वा की ओर चेहरा करना (उसकी सेहत व शुद्धता) के लिए शर्त है। अल्लत्ता चंद मारुफ़ (विदित) मसअले इससे मुस्तसना (अपवादित) हैं, जो अहले इल्म (विद्वानों) की किताबों में मज़कूर (उल्लिखित) हैं।

 ३ ‘अल्लाहु अकबर’ कहते हुए तक्बीरे तहरीमा कहे और अपनी निगाह सज्जा की जगह पर रखे।

 ४ तक्बीरे तहरीमा कहते समय अपने दोनों हाथों को कंधा के बराबर या कानों की लौ के बराबर उठाये।

 ५ अपने दोनों हाथों को सीने पर इस तरह रखे कि दायाँ हाथ बायें हाथ की हथेली, कलाई तथा बाजू (बाहू) पर हो। क्योंकि वायेल बिन हुज्र  और क़बीसा बिन हलब अत्ताई -जो कि अपने बाप (हलब  ) से रिवायत करते हैं- की हडीस से ऐसा ही साबित है।

 ६ (इसके बाद) सुन्नत यह है कि दुआए इस्तिफ़ताह (नमाज़ शुरू करने की दुआ) पढ़े। दुआए इस्तिफ़ताह यह है:

اللَّهُمَّ بَاعْدَ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايِي كَمَا بَاعْدَتْ بَيْنَ الْمُشْرِقَ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايِي كَمَا يُنَقِّي الشُّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايِي بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ۔





**उच्चारण:** «अल्लाहुम्म बाइद बैनी व बैन ख़तायाय कमा बाअदूत  
बैनल मशरिकि वलमग़रिबि, अल्लाहुम्म नव्विक्नी मिन ख़तायाय कमा  
युनक्कस सौबुल अबयजु मिनदनसि, अल्लाहुम्मग़सिलनी मिन ख़तायाय  
बिलमाइ वस्सलजि वलबरदि ॥»

**अर्थ:** «ऐ अल्लाह! तू मेरे दरमियान तथा मेरे गुनाहों के दरमियान  
ऐसी दूरी कर दे जैसी दूरी तू ने पूरब और पच्छाम के दरमियान की  
है। ऐ अल्लाह! मुझे मेरे गुनाहों से इस तरह पाक व साफ़ कर दे जिस  
तरह सफेद कपड़ा मैल कुचेल से साफ़ किया जाता है। ऐ अल्लाह!  
मुझे मेरे गुनाहों से पानी, बरफ़ और ओलों से धूल दे ॥» खुखारी व  
मुस्लिम, इसको नबी ﷺ से रिवायत (वर्णन) करने वाले अबू हुरैरा رضي الله عنه हैं]

﴿ اُولَئِكَ الَّذِينَ لَا يَرْجِعُونَ ۝ ﴾  
और अगर चाहे तो इस दुआ की बजाय यह दुआ पढ़े:  
«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .»

**उच्चारण:** «सुब्बानकल्लाहुम्म व बिहस्तिक व तबारकस्मुक व  
तअ़ाला जदूदुक व ला इलाह गैरूक ॥»

**अर्थ:** «ऐ अल्लाह! तू पाक है अपनी हम्द व सना (स्तुति) के  
साथ, और तेरा नाम बाबरकत (शुभ) है, तेरी शान बुलंद है, और  
तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं ॥»

उक्त दोनों दुआयें नबी ﷺ से साबित हैं। और अगर इन दोनों  
के अलावा नबी ﷺ से साबित कोई और दुआए इस्तिप्ताह पढ़े तो  
भी कोई हर्ज नहीं, बल्कि बेहतर यह है कि कभी यह दुआ पढ़े तो  
कभी वह दुआ, क्योंकि ऐसा करने से नबी ﷺ की मुकम्मल इत्तिबा  
(अनुसरण) हो जाती है।



## इसके बाद

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

‘अऊजु बिल्लाहि मिनशैतानिर्जीम’, ‘बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम’ (अर्थात् ‘मैं धिक्कारे हुये शैतान से अल्लाह की पनाह (शरण) तलब करता हूँ।’ ‘शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान (कृपालु) निहायत रहम करने वाला (दयालु) है।’) पढ़ कर सूरह फ़तिहा पढ़े। क्योंकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرُبْ بِفَاتِحَةَ الْكِتَابِ .

«उसकी नमाज़ नहीं जिसने सूरह फ़तिहा नहीं पढ़ी ॥»

❖ सूरह फ़तिहा के बाद जहरी नमाजों में ऊँची आवाज़ से तथा सिरी नमाजों में धीमी आवाज़ से ‘आमीन’ (यानी क़बूल फ़रमा) कहे। फिर कुरआन से जो पढ़ना आसान हो पढ़े। बेहतर यह है कि ज़ोहर, अ़म्म और इशा में औसाते मुफ़स्सल (सूरह अ़म्म से सूरह लैल तक) से पढ़े, और फ़ज्ज में तिवाले मुफ़स्सल (सूरह काफ़ से सूरह मुरसलात तक) से तथा मग़रिब में कभी तिवाले मुफ़स्सल से और कभी किसारे मुफ़स्सल (सूरह जुहा से सूरह नास तक) से पढ़े। क्योंकि नबी ﷺ से इसी तरह साबित है। मशरूअ् (शरीअत सम्मत) यह है कि अ़म्म की नमाज़ ज़ोहर की नमाज़ से हल्की हो।

7

‘अल्लाहु अकबर’ कहता हुवा और अपने दोनों हाथों को कंधों या कानों के बराबर तक उठाता हुवा रुकूअ् करे। और रुकूअ् में अपने सर को पीठ की बराबरी में कर ले तथा हाथों को घुटनों पर इस



तरह रखे कि उँगलीयाँ फैली हुई हों। और रुकूअ् में इत्मीनान बरकरार रखते हुए यह दुआ पढ़ें: «سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ» ‘सुब्हान रबी الْعَظِيم’ यानी: ‘पाक है मेरा रब जो बड़ी अज़मत वाला है’। बेहतर यह है कि यह दुआ तीन बार या उस से अधिक बार पढ़ें। और उक्त दुआ के साथ यह दुआ पढ़ना भी मुस्तहब है:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِنِي».

‘सुब्हानकल्लाहुम्म रब्बना व बिहमूदिक, अल्लाहुम्मग़फिरली’ यानी: ‘ऐ अल्लाह हमारे रब! तू पाक है अपनी हम्द व सना के साथ, ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ कर दे।’

## 8

नमाज़ी अगर इमाम या मुनफ़रिद (अकेले नमाज़ पढ़ने वाला) है तो ‘سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ’ (यानी: सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने उसकी तारीफ़ की) कहता हुवा और अपने हाथों को कंधों या कानों की लौ के बराबरी तक उठाता हुवा रुकूअ् से सर उठाये। और कौमा में (रुकूअ् से उठ कर खड़े होने की स्थिति में) यह दुआ पढ़ें:

«رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مُلْءُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمُلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

उच्चारण: «रब्बना व लकलू हम्दु हम्दन कसीरन तैयिबम मुबारकन फ़ीह, मिलअस्समावाति वलअर्जिं, व मिलअ मा शि'त मिन शैइम बा'दु।»

अर्थ: «ऐ हमारे रब! तेरे ही लिए तारीफ़ है बहुत ज्यादा, पाकीज़ा, बाबरकत तारीफ़, आसमानों तथा ज़मीन के बराबर और जो कुछ तु इसके बाद चाहे उसके बराबर ॥»





﴿ और अगर नमाज़ी उक्त दुआ के साथ निम्नोक्त (दर्ज जैल) दुआ भी मिला ले तो बेहतर है, क्योंकि बाज़ हदीसों में नवी  से इसका पढ़ना भी साधित है:

اَهُلُّ النِّسَاءِ وَالْمَجْدِ، اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لِكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيٌ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَفْعُلُ ذَا الْجُدُّ مِنْكَ الْجُدُّ۔

**उच्चारणः** «अहलस्सनाइ वल्मज्जिद्, अहक्कु मा कालत् अब्दु, व कुल्लुना लक अब्दुन्, अल्लाहुम्म ला मानिअ लिमा आतैत, व ला मुत्तिय लिमा मनअूत, व ला यनफ़उ ज़ल्ज़द्दि मिनकलजहु»

अर्थः «ऐ तारीफ़ और बुजुर्गी वाला! बदे ने (तारीफ़ और बुजुर्गी की) जो बात कही है तू उसका सब से ज्यादा हक़दार है। और हम सब तेरे ही बदे हैं। ऐ अल्लाह! जो तू अता (प्रदान) करे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जो तू रोक ले उसे कोई देने वाला नहीं। और किसी मालदार को उसकी मालदारी तेरे (अज़ाब) से बचा नहीं सकती »

﴿ और अगर नमाज़ी मुक्तदी है तो रुकूअू से सर उठाते समय ('समिअल्लाहु लिमन हमिदह') कहे बगैर सिर्फ़) 'रब्बना व लकलू हम्द---' आखिर तक कहे।

और मुस्तहब है कि हर नमाज़ी (कौमा में यानी रुकूअू से उठ कर खड़े होने के बाद) उसी तरह अपने हाथ सीने पर रखे जिस तरह रुकूअू से पहले कियाम की हालत में रखा था। क्योंकि वायेल बिन हुन्न तथा सहल बिन सअूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी (वर्णित) हदीस नवी  से इस अमल के साधित होने पर दलालत करती है।



अल्लाहु अक्बर' कहता हुवा सज्दे में जाये। अगर आसानी





हो तो (सज्दा में जाते हुए) घुटनों को हाथों से पहले ज़मीन पर रखे। और अगर ऐसा करना उस पर दुश्वार (कठिन) हो तो हाथों को घुटनों से पहले ज़मीन पर रखे। सज्दे में दोनों पैर तथा दोनों हाथ की उँगलीयों को किंविला रुख रखे और हाथों की उँगलीयों को बाहम (परस्पर) मिला कर फैला ले। सज्दा सात आ‘ज़ा (अंगों) पर होना चाहिए, और वह सात अंग यह हैं: नाक समेत पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर की उँगलीयों का अंदरूनी हिस्सा। और सज्दे में यह दुआ पढ़े: «سُبْحَانَ رَبِّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِنَا» ‘सुब्हानक लहम रिना و بِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِنِي」 ‘सुब्हानकल्लाहुम्म रब्बना व बिहम्मदिक अल्लाहुम्मगफिरली’ यानी: ‘सुब्हानकल्लाहुम्म रब्बना व बिहम्मदिक अल्लाहुम्मगफिरली’ यानी: ‘ऐ अल्लाह हमारे रब! तू पाक है अपनी हम्द के साथ, ऐ अल्लाह! मुझे माफ कर दे।’ और सज्दे में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे, क्योंकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«فَامَّا الرُّفُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبُّ، وَامَّا السُّجُودُ فَاجْتَهَدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». [رواه مسلم]

‘‘जहाँ तक रुकू़ का तअल्लुक है तो उसमें अपने रब की अ़ज़मत व बड़ई बयान करो, लेकिन सज्दे में पूरी कोशिश से (खूब गिड़गिड़ा कर) दुआ करो, तो ज़्यादा उम्मीद है कि तुम्हारी दुआएं कबूल की जायें॥ {मुस्लिम}

रसूलुल्लाह ﷺ ने और भी फ़रमाया:

«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَلَا كُثُرُوا الدُّعَاءِ». [رواه مسلم]



«बंदा अपने रब के सब से ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वह सज्दे में होता है, इस लिए तुम (सज्दे में) खूब दुआ किया करो» {मुस्लिम}

सज्दे में नमाज़ी अल्लाह तआला से अपने लिए तथा अपने अलावा दूसरे मुसलमानों के लिए दुनिया व आखिरत की भलाई का सवाल करे, चाहे फर्ज नमाज़ पढ़ रहा हो या नफ्ल। और (सज्दे की हालत में) वह अपने दोनों बाजू (बाहु) को पहलू से, पेट को रानों से और रानों को पिंडलीयों से दूर रखे। और कुहनीयों को ज़मीन से उठाये रखे। क्योंकि नबी ﷺ ने फरमाया:

اعْتَدُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطُوا حَدُّكُمْ ذِرَاعِيهِ اِنْسَاطَ الْكَلْبِ۔ [متفق عليه]

«सज्दे इत्मीनान से करो, और तुम में से कोई शख्स अपनी कुहनीयों को कुत्ते के बिछाने की तरह (ज़मीन पर) न बिछाये» {बुखारी व मुस्लिम}



‘अल्लाहु अक्वर’ कहता हुवा सज्दे से सर उठाये और बायें पैर को बिछा कर उस पर बैठ जाये, और दायें पैर को खड़ा रखे, और अपने हाथों को रानों तथा घुटनों पर रख कर यह दुआ पढ़े:  
رَبُّ اغْفِرْ لِي، رَبُّ اغْفِرْ لِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي،  
وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي، وَاجْرُنِي۔

उच्चारण: «रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, अल्लाहुम्मग़फिरली, वरहमनी, वहदिनी, वरजुकनी, व अफिनी, वज़बुरनी»

अर्थ: «ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ कर दे, ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ कर दे, ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर रहम



फ़रमा (दया कर), मुझे हिदायत दे, मुझे रिज्क अंता (जीविका प्रदान) कर, मुझे आफ़ियत (कल्याण) में रख और मेरे नुक़सान पूरे फ़रमा ॥

रुकूअू के बाद के (कौमा में) इत्मीनान की तरह यह जल्सा (दो सज्दे के दरमियान बैठक) भी बिल्कुल इत्मीनान व प्रशांति से करे यहाँ तक कि हर जोड़ अपनी जगह को वापस आ जाये, क्योंकि नवी रुकूअू के बाद कियाम (खड़ा होने) को तथा दो सज्दे के दरमियान जल्सा को लम्बा करते थे।



‘अल्लाहु अकबर’ कहता हुवा दूसरा सज्दा करे और इस में भी वही सब करे जो पहले सज्दा में किया था।



‘अल्लाहु अकबर’ कहता हुवा सज्दा से सर उठाये तथा जिस तरह दोनों सज्दों के दरमियान बैठा था उसी तरह थोड़ी देर के लिए बैठ जाये। इस बैठक को ‘जल्सये इस्तिराहत’ कहते हैं, जो उलमा के दो कौल में से सही कौल के अनुसार मुस्तहब है। और अगर उसे छोड़ दे तो कोई हर्ज नहीं। जल्सये इस्तिराहत में न कोई ज़िक्र है और न कोई दुआ। फिर दूसरी रक़अत के लिए अगर मुस्किन हो तो अपने घुटनों पर टेक लगा कर खड़ा हो जाये, और अगर घुटनों पर टेक लगा कर उठने में दुश्वारी हो तो अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रख कर उठे। खड़ा होने के बाद सूरह फ़ातिहा फिर फ़ातिहा के बाद कुरआन से जो पढ़ना आसान हो पढ़े, जैसे कि पहली रक़अत के बयान में बात गुज़र चुकी है।

मुक्तदी के लिए जायज़ नहीं है कि वह अपने इमाम से आगे बढ़े



(यानी इमाम के करने से पहले ही कोई काम करे)। क्योंकि नबी ﷺ ने अपनी उम्मत को इस से डराया तथा सावधान किया है। और इमाम की मुवाफ़कत करना (यानी इमाम के साथ साथ करना) मकरह है। सुन्नत यह है कि मुक्तदी का फेल ताखीर (विलंब) किये बगैर इमाम के फेल के बाद तथा उनकी आवाज़ ख़त्म होने के बाद हो। क्योंकि नबी ﷺ ने फरमाया:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمْ بِهِ، فَلَا تَحْتَلِفُوا عَلَيْهِ، إِنَّمَا كَبَرَ كَبُّرُوا، وَإِنَّ رَكْعَةَ فَارِكُعُوا، وَإِنَّا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقَوْلُوا: رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِنَّا سَجَدْنَا فَأَسْجُدُوا». [منتقى عليه]

«इमाम को इसी लिए मुकर्रर किया गया है कि उसकी पैरवी की जाये, अतः तुम उस से इखिलाफ़ न करो (अर्थात् कोई भी अमल उसके आगे या पीछे न करो)। जब वह ‘अल्लाहु अक्बर’ कहे तो तुम भी ‘अल्लाहु अक्बर’ कहो। और जब वह रुकूअू करे तो तुम भी रुकूअू करो। और जब वह ‘समिअल्लाहु लिमन हमिदह’ कहे तो तुम ‘रब्बना व लकलू हम्द’ कहो। और जब वह सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो» {बुखारी व मुस्लिम}

### 13

अगर नमाज़ दो रकअत वाली हो जैसे फत्र, जुमुआ तथा ईद की नमाजें, तो दूसरे सज्दे से सर उठाने के बाद तशह्वुद में बैठ जाये, और वह इस तरह कि:

नमाजी अपना दायाँ पैर खड़ा रखे और बायाँ पैर ज़मीन पर बिछा कर उस पर बैठ जाये, और दायें हाथ को दायें रान पर रख कर तर्जनी (शहादत) उंगली के अलावा हाथ की सारी उंगलीयों को मोड़





ले, और अल्लाह के ज़िक्र के वक्त तथा दुआ के समय उस (तर्जनी) से तौहीद की ओर इशारा करता रहे।

और अगर नमाजी अपने दायें हाथ की कनिष्ठिका और अनामिका (स्थिन्सिर और बिन्सिर यानी किनारे की दोनों उंगलियों) को मोड़ ले, और अंगूठे को मध्यमा (बीच वाली) उंगली से मिलाकर हलका (दायरा) बना ले और शहादत की उंगली (तर्जनी) से इशारा करता रहे तो भी ठीक है।

उक्त दोनों तरीके सही हैं, क्योंकि दोनों नबी ﷺ से साबित तथा प्रमाणित हैं। अल्बत्ता बेहतर यह है कि कभी इस तरीके पर और कभी उस तरीके पर अ़मल किया जाये।

और अपना बायाँ हाथ बायें रान पर रख कर इस जल्सा (बैठक) में तशह्हुद पढ़े, और वह यह है:

«الْتَّحَيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّبَيَّاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

“अत्तिहियातु लिल्लाहि, वस्सलवातु वत्तियिबातु, अस्सलामु अलैक अय्युहन्बीय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अ़ला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।”

“सारी जुबानी, बदनी और माली इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। ऐ नबी! आप पर सलामती नाजिल हो, और अल्लाह की रहमतें तथा उसकी बरकतें अवतारित हो, और सलामती हो हम पर और



अल्लाह के नेक बंदों पर, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूजने योग्य नहीं है, और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उसके बंदे और उसके रसूल हैं ॥

और फिर यह दुरुद पढ़े:

«اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَ بارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

“अल्लाहुम्म सल्लि अळा मुहम्मदिंव व अळा आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अळा इब्राहीम व अळा आलि इब्राहीम इन्क हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अळा मुहम्मदिंव व अळा आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अळा इब्राहीम व अळा आलि इब्राहीम इन्क हमीदुम मजीद ।”

“ए अल्लाह! कृपा (रहमत) भेज मुहम्मद पर और मुहम्मद के आल (परिवार) पर जैसे रहमत (कृपा) भेजी तू ने इब्राहीम पर और इब्राहीम के आल (परिवार) पर, बेशक तू महिमा और गुणगान के योग्य (बुजुर्गी और तारीफ के लायेक) है। ऐ अल्लाह! बरूकत भेज मुहम्मद पर और मुहम्मद के परिवार पर, जैसे बरूकत भेजी तू ने इब्राहीम पर और इब्राहीम के परिवार पर, बेशक तू महिमा और गुणगान के योग्य (बुजुर्गी और तारीफ के लायेक) है ॥

﴿ इसके बाद चार चीजों से अल्लाह की पनाह (शरण) तलब करे, यानी यह दुआ पढ़े:

«اللَّهُمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمْ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحْبَّيَا وَالْمُمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»





“अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबिक मिन अ़ज़ाबि जहन्नम, व मिन अ़ज़ाबिल क़ब्रि, व मिन फ़ितनतिल मह्र्या वलूममात, व मिन फ़ितनतिल मसीहिद्दज्जाल ۱”

«ऐ अल्लाह! तेरी पनाह तथा शरण चाहता हूँ जहन्नम के अ़ज़ाब से, और क़ब्र के अ़ज़ाब से, और ज़िंदगी तथा मौत के फ़ितने से और मसीह दज्जाल के फ़ितने से ।»

﴿ ﴿ फिर दुनिया व आखिरत की भलाई तथा कल्याण में से जो चाहे उसके लिए अल्लाह से दुआ करे । अगर अपने बालिदैन (पिता माता) के लिए या उनके अलावा दूसरे मुसलमानों के लिए दुआ करे तो भी कोई मुजायका (हर्ज) नहीं, चाहे नमाज़ फ़र्ज़ हो या नफ़्ल । क्योंकि नबी ﷺ ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ को तशहूद सिखलाते समय फ़रमाया था:

**ثُمَّ لِتَخْبِرَ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو.** وَفِي لَفْظٍ آخَرْ: «**ثُمَّ لِتَخْبِرَ مِنِ الْمُسَائِلَةِ مَا شَاءَ.**

«फिर वह उन दुआओं का चयन करके अल्लाह से दुआ करे जो उसके नज़दीक पसंदीदा हों ॥» और एक दूसरी हडीस के शब्द यह हैं: «फिर अल्लाह से जो भी माँगना चाहे माँगे ॥»

आपका यह फ़रमान आम है, जो कि हर उस दुआ को शामिल है जो बंदे के लिए दुनिया और आखिरत में मुफीद (लाभदायक) हो ।

इसके बाद ‘अस्सलामु अलैकूम व रहमतुल्लाह’ कहता हुवा दायें तरफ सलाम फेरे, और फिर ‘अस्सलामु अलैकूम व रहमतुल्लाह’ कहता हुवा दायें तरफ सलाम फेरे ।




**14**

अगर नमाज़ तीन रकअत वाली है जैसे मग़रिब की नमाज़, या चार रकअत वाली है जैसे ज़ोह्र, अस्म और इशा की नमाजें, तो दूसरी रकअत के तशहूद में ‘अत्तहिय्यात’ और दुरुद (यानी अल्लाहुम्म सल्लि अल्ला ---) पढ़ने के बाद ‘अल्लाहु अकबर’ कहता हुवा घुटनों पर टेक लगा कर सीधा खड़ा हो जाये, और दोनों हाथों के कंधों के बराबर तक उठा कर (रफ़ए यदैन करके) पहले की तरह उन्हें सीने पर बाँध ले, और सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़े।

● और अगर कभी कभार ज़ोह्र की तीसरी और चौथी रकअत में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई दूसरी सूरह (या कुछ आयतें) भी पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं। क्योंकि अबू सईद खुदरी  से मरवी (वर्णित) हदीस नवी  से इस अ़मल के सावित होने पर दलालत करती है।

और अगर पहली तशहूद में ‘अत्तहिय्यात’ के बाद दुरुद पढ़ना छोड़ दे तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि पहली तशहूद में इसका पढ़ना वाजिब नहीं है, बल्कि मुस्तहब है।

फिर मग़रिब की तीसरी रकअत के बाद तथा ज़ोह्र, अस्म और इशा की चौथी रकअत के बाद (यानी आखिरी तशहूद में) ‘अत्तहिय्यात’ पढ़े, फिर नवी  पर दुरुद पढ़े, और जहन्नम के अज़ाब, कब्र के अज़ाब, जिंदगी तथा मौत के फ़ितने और दज्जाल के फ़ितने से अल्लाह की पनाह माँगे। फिर बकसरत (ज्यादा से ज्यादा) दुआ करे। और इस मकाम (स्थान) पर तथा इसके अलावा दूसरे मकाम पर यह दुआ पढ़ना मशरूअ (शरीअत सम्मत) है:





﴿رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، وَقَنَا عَدَابَ النَّارِ﴾.

“रब्बना आतिना फिदुन्नया हसनतँव व फिलूआखिरति हसनतँव व किना अ़ज़ाबन्नार।”

“ऐ हमारे रब! तू हमें दुनिया व आखिरत में भलाई तथा कल्याण प्रदान कर, और आग के अ़ज़ाब से बचा ले।» क्योंकि अनस ؓ से मर्वी हदीस में है, उन्होंने कहा:

كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، وَقَنَا عَدَابَ النَّارِ.

अर्थात् नबी ﷺ ज्यादातर यह दुआ पढ़ा करते थे: “रब्बना आतिना फिदुन्नया हसनतँव व फिलूआखिरति हसनतँव व किना अ़ज़ाबन्नार।” जैसाकि इस बारे में तफ़्सील दो रक़अ़त वाली नमाज़ के बयान में गुज़र चुकी है।

▣ लेकिन इस बैठक में (यानी दो तशह्वुद वाली नमाज़ों की दूसरी तशह्वुद में) तवरुक करके बैठे (यानी बायाँ पैर दायें पैर के नीचे रख कर अपनी सुरीन (नितंब) को ज़मीन पर रखे, और दाहना पैर खड़ा रखे)। क्योंकि अबू हुमैद ؓ से मर्वी (वर्णित) हदीस में नबी ﷺ की बैठक का यही तरीका बयान किया गया है।

इसके बाद ‘अस्सलामु अ़लैकूम व रहमतुल्लाह’ कहता हुवा दायें तरफ़ सलाम फेरे, और फिर ‘अस्सलामु अ़लैकूम व रहमतुल्लाह’ कहता हुवा बायें तरफ़ सलाम फेरे।

▣ सलाम फेरने के बाद तीन बार **‘أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ’** ‘अस्तग़फ़िरुल्लाह’



अर्थात् ‘मैं अल्लाह से मग़फिरत (क्षमा) तलब करता हूँ’ कहे।  
फिर निम्नलिखित दुआये पढ़े:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارُكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا  
اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا حَوْلٌ  
وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ  
ذَا الْجَدْ مِنْكَ الْجَدُّ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ التَّعْمَةُ وَلَهُ  
الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

“अल्लाहुम्म अन्तस्सलाम, व मिनूक्सस्लाम, तबारक्त या जलूजलालि  
वलूइक्राम। ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, लहुलमुल्कु व  
लहुलहम्दु, व हुव अला कुल्लि शैइन कदीर। ला हौल व ला कुव्वत इल्ला  
बिल्लाह। अल्लाहुम्म ला मानिअ लिमा आ‘तैत, व ला मुअूतिय लिमा  
मनअूत, व ला यनफ़उ ज़ल्ज़दि मिन्कल्ज़द। ला इलाह इल्लल्लाहु, व ला  
नअूबुदु इल्ला इस्याहु, लहुन्निअमतु व लहुलफ़़ज्जु व लहुस्सनाउल हसन।  
ला इलाह इल्लल्लाहु मुख़लिसीन लहुदीन व लौ करिहल काफिर्सन।”

“ऐ अल्लाह! तू तमाम ऐबों से सुरक्षित तथा महफूज़ है, और तुझ  
ही से सलामती है। ऐ बुजुर्गी और इज्जत वाले! तू बड़ी बरकत वाला  
है। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअूबूद नहीं, वह अकेला है, उसका  
कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाही और उसी के लिए तारीफ  
है, और वह हर चीज़ पर क़ादिर (क्षमताशील) है। गुनाह से बचने की  
तौफीक और नेकी करने की कुव्वत व शक्ति अल्लाह ही से हासिल  
होती है। ऐ अल्लाह! तू जो चीज़ प्रदान करे उसको कोई रोकने वाला  
नहीं, और जिसको तू रोक ले उसको कोई देने वाला नहीं, किसी  
मालदार को उसकी मालदारी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती और तुझ से  
बचा नहीं सकती। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअूबूद नहीं, हम सिर्फ़





उसी की इबादत करते हैं, उसी के लिए नेमत, उसी के लिए फ़ज्जल व कृपा तथा उसी के लिए अच्छी तारीफ़ व स्तुति सज़ावार (लाइक व योग्य) है। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअ्रबूद नहीं, हम उसके लिए अपने दीन को खालिस (इत्ताअत व फ़रमाबरदारी को अविमिश्र) करने वाले हैं, अगरचे (यद्यपि) काफिरों को नापसंद हो »

﴿ اُولَئِكَ الَّذِينَ لَا يُشْرِكُونَ بِهِمْ أَنَّهُمْ لِلَّهِ إِلَهٌ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَكْبَرُ ۝ ۳۳﴾  
 और तेंतीस (33) मरूतबा «سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ» यानी ‘मुऱ्हानल्लाह’ यानी ‘मैं अल्लाह की पाकीज़गी व पवित्रता बयान करता हूँ’ और तेंतीस मरूतबा «الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَظِيمِ الْمُكَبِّرِ» ‘अल्हम्दु लिल्लाह’ यानी ‘सब तारीफ़ व स्तुति अल्लाह के लिए है’ तथा तेंतीस मरूतबा «الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَظِيمِ الْمُكَبِّرِ» ‘अल्लाहु अक्�बर’ यानी ‘अल्लाह सबसे बड़ा तथा सर्वमहान है’ कहे, और सौ की गिनती पूरी करते हुए पढ़े:  
 ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

“ला इलाह इल्लल्लाहु वह्दहु ला शरीक लहु, लहुत्मुल्कु व लहुलहम्दु, व हुव अला कुत्लि शैइन क़दीर।”

“अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअ्रबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाही और उसी के लिए तारीफ़ है, और वह हर चीज़ पर क़ादिर है»

और हर (फ़र्ज) नमाज़ के बाद ‘आयतुल कुर्सी’, सूरह ‘इखलास’, सूरह ‘फ़लक’ और सूरह ‘नास’ पढ़े।

### आयतुल कुर्सी

﴿إِلَهَ إِلَّا إِلَهٌ وَحْدَهُ الْقَوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نُومٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي





الْأَرْضَ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلَا يَنْعُودُ حَفْظُهُمَا وَهُوَ عَلَىٰ الْعَظِيمِ ﴿٢٥٥﴾ [البقرة: ٢٥٥]

“अल्लाह तआला ही सत्य माबूद है, जिसके अतिरिक्त कोई माबूद नहीं जो जीवित है और सबका थामने वाला है, जिसे न ऊँध आये न र्नीद, उसके आधीन ज़मीन व आस्मान की सभी चीजें हैं, कौन है जो उसकी इजाजत के बिना उसके सामने सिफारिश कर सके, वह जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वे उसके इल्म (ज्ञान) में से किसी चीज़ का इहाता (आयत्त) नहीं कर सकते मगर जितना वह चाहे, उसकी कुर्सी की वुस्अत ने ज़मीन व आस्मान को धेर रखा है, और अल्लाह तआला उनकी हिफाजत से न थकता और न उकताता है, वह तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है।” (सूरह अल्बक्राः २५५)

### सूरह ‘इख्लास’

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۖ ۝ أَللَّهُ الصَّمَدُ ۖ ۝ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُواً أَحَدٌ ۖ﴾ [الإخلاص: ١-٤]

“① आप कह दीजिये कि वह अल्लाह एक (ही) है। ② अल्लाह बेनियाज (अमुखापेक्षी) है। ③ न उससे कोई पैदा हुआ और न वह किसी से पैदा हुआ। ④ और न कोई उसका हम्सर (समकक्ष) है।”

### सूरह ‘फ़लक’

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۖ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۖ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۖ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۖ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۖ﴾ [الفلق: ١-٥]





“① आप कह दीजिये कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। ② हर उस चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा की है। ③ और अंधेरी रात की बुराई से जब उसका अंधेरा फैल जाये। ④ और गिरह (लगा कर उन) में फूँकने वालीयों की बुराई से (भी)। ⑤ और हसद करने वाले की बुराई से भी जब वह हसद करे।”

### सूरह ‘नास’

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَالِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسَوَاسِ  
الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ أَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾﴾  
[الناس: ١ - ٦]

“① आप कह दीजिये कि मैं लोगों के प्रभु की पनाह में आता हूँ। ② लोगों के मालिक की (और)। ③ लोगों के मअूबूद की (पनाह में)। ④ वसवसा डालने वाले पीछे हट जाने वाले की बुराई से। ⑤ जो लोगों के सीने में वसवसा डालता है। ⑥ (चाहे) वह जिन्न में से हो या इंसान में से।”

फ़त्र और मग़रिब की नमाज़ के बाद उक्त तीनों सूरतों का तीन तीन बार पढ़ना मुस्तहब है, क्योंकि इस सिलसिले में नबी ﷺ से सही ह हदीरें वारिद हैं। इसी तरह फ़त्र तथा मग़रिब की नमाज़ के बाद साविका अज़कार पढ़ने के बाद निम्नलिखित ज़िक्र का दस मरतबा पढ़ना मुस्तहब है:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

“ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, लहुल्मुल्कु व लहुल्हम्दु, युहयी व युमीतु, व हुव अला कुल्लि शैइन कदीर।”



“‘अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मध्यबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाही और उसी के लिए तारीफ है, वही जिलाता तथा मारता है, और वह हर चीज़ पर क़ादिर (क्षमताशील) है’”

- ❖ इमाम होने की स्थिति में तीन मरतबा ‘अस्तग़ाफिरुल्लाह’ कहने के बाद तथा ‘अल्लाहुम्म अन्तस्सलाम, व मिन्कस्सलाम, तबारकूत या ज़लूजलालि वलूइक्राम’ पढ़ने के बाद मुक्तदीयों की तरफ मुड़ जाये और उनके रू बरू (आमने सामने) हो जाये। फिर मज़कूरा (पूर्वोक्त) अज़कार पढ़े। जैसाकि नबी ﷺ की बहुत सी हडीसें इस पर दलालत करती हैं, उन्हीं में से आइशा रजियल्लाहु अन्हा की हडीस है जिसे इमाम मुस्लिम ने अपनी ‘सहीह’ में वर्णना (रिवायत) किया है। वाज़िह रहे कि इन तमाम अज़कार का पढ़ना सुन्नत है, फर्ज़ नहीं।
- ❖ हर मुसलमान मर्द व औरत के लिए ज़ोहर की नमाज़ से पहले चार रक़अत तथा उसके बाद दो रक़अत, मग़रिब की नमाज़ के बाद दो रक़अत, इशा की नमाज़ के बाद दो रक़अत और फ़ज़्र की नमाज़ से पहले दो रक़अत पढ़ना मुस्तहब है। यह कुल बारह (۹۲) रक़अतें हैं, जिन्हें ‘सुनने रवातिब’ (सुन्नते मुअक्कदा) के नाम से याद किया जाता है। क्योंकि नबी ﷺ मुकीम होने की हालत में (मुसाफिर न होने की स्थिति में) इन्हे पाबंदी से पढ़ा करते थे।
- ❖ रही बात सफ़र की तो नबी ﷺ उस में सिवाय फ़ज़्र की सुन्नत के और वित्र के (उक्त सुनने रवातिब में से) कोई





सुन्नत नहीं पढ़ते थे। आप ﷺ इन दोनों की हज़र और सफ़र दोनों हालत में (फ़त्र की सुन्नत और वित्र की निवास तथा यात्रा उभय अवस्था में) पाबंदी फ़रमाते थे। और आप ﷺ में हमारे लिए उम्दा नमूना (उत्तम आदर्श) है। क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَشْوَأُ حَسَنَةٍ﴾ [الأحزاب: ٢١]

“निश्चय तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में उम्दा नमूना (मौजूद) है।”  
[अल्लाहज़ाब: २१]

और रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». [رواه البخاري]

«तुम उस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुम ने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है।» {बुखारी}

बेहतर यह है कि उक्त सुनने रवातिब (सुन्नते मुअक्कदा) और वित्र की नमाज़ घर में पढ़ी जाये। लेकिन अगर कोई मस्जिद में पढ़ता है तो कोई हर्ज नहीं। क्योंकि नबी ﷺ का फ़रमान है:

﴿أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمُرْءَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ الْمُكْبُوَةُ﴾. [متفق على صحته]

«सिवाय फर्ज नमाज़ के आदमी की सब से बेहतर नमाज़ उसके घर की नमाज़ है।» {इस हडीस की सेहहत (शुद्धता) पर इतिफ़ाक़ है}

◎ उक्त बारह रक़अ़त सुनने रवातिब की पाबंदी जन्नत में दाखिल होने के अस्वाब (कारणों) में से है। उम्मे हबीबा ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं ने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना:





«مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثَنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطْوِعاً غَيْرَ فَرِيْضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». [رواہ مسلم]

«जो मुसलमान बंदा अल्लाह के लिए रोजाना (प्रतिदिन) फर्ज नमाजों के अलावा बारह रकअत नफ्ल (सुनने रखातिब) पढ़ता है, तो अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में घर बना देता है» {मुस्लिम}

﴿ और अगर अन्न की नमाज से पहले चार रकअत, मगरिब की नमाज से पहले दो रकअत और इशा की नमाज से पहले दो रकअत पढ़ ले तो और बेहतर है, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया:

«رَحْمَ اللَّهِ امْرَءًا صَلَى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ». [رواہ أحمد، وأبوداود، والترمذی وحسنہ، وابن خزیمة وصححه، واستناده صحيح]

«अल्लाह तआला उस शख्स पर रहम फरमाये जो अन्न की नमाज से पहले चार रकअत अदा करता है» {इसे अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है, इमाम तिरमिज़ी ने इसे हसन और इब्ने खुज़ैमा ने सहीह करार दिया है, और इसकी सनद-सूत्र सहीह है।}

रसूलुल्लाह ﷺ ने एक दूसरी हदीस में फरमाया:  
«بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ صَلَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ صَلَةٌ»، نَمَّ قَالَ فِي التَّالِيَةِ: «لَمْ شَاءَ». [رواہ البخاري]

«हर दो अज्ञानों (अज्ञान और इकामत) के दरमियान नमाज़ है। हर दो अज्ञानों (अज्ञान और इकामत) के दरमियान नमाज़ है» फिर तीसरी बार में आप ﷺ ने फरमाया: «जो पढ़ना चाहे» {बुखारी}

﴿ और अगर ज़ोहर के बाद चार रकअत तथा उस से पहले





चार रक़अत पढ़े तो भी ठीक है। उम्मे हबीबा ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैं ने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुये सुना: **مَنْ حَفِظَ عَلَىٰ أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهُرِ، وَأَرْبَعَ بَعْدَهَا، حَرَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ.** [رواه الإمام أحمد وأهل السنن بأسناد صحيح]

«जो शख्स ज़ोहर (के फ़र्ज़ों) से पहले चार रक़अतों की और ज़ोहर के बाद चार रक़अतों की हिफाज़त करेगा (उन्हें हमेशा पढ़ेगा), तो अल्लाह तआला उस पर जहन्नम की आग को हराम फ़रमा देगा»  
[इसे इमाम अहमद और अहले सुनन ने सहीह सनद के साथ रिवायत किया है]

मतलब यह है कि ज़ोहर के बाद सुन्नते रातिबा (सुन्नते मुअकदा) से ज्यादा दो रक़अत और पढ़ ले। क्योंकि अस्ल सुन्नते रातिबा की संख्या ज़ोहर से पहले चार हैं और उसके बाद दो ही रक़अत हैं। अतः अगर ज़ोहर के बाद दो रक़अत का इजाफा करे (दो रक़अत ज्यादा पढ़े), तो उम्मे हबीबा ﷺ की हदीस में मज़कूर फ़ज़ीलत (उल्लिखित मर्यादा) का हक़दार हो जायेगा।

अल्लाह तआला ही तौफ़ीक (प्रेरणा) देने वाला है। अल्लाह की रहमत और सलामती नाज़िल हो हमारे नबी मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर, और आपके आल व औलाद तथा आपके सहावियों पर, और कियामत तक आपकी सच्ची पैरवी करने वालों पर। आमीन।



## जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने का वुजूब (अनिवार्यता)

अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ की तरफ से यह पैग्राम हर उस मुसलमान के नाम जो इसके कायेल (जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने के वुजूब व अनिवार्यता के समर्थक) हैं, अल्लाह उन्हें उस चीज़ की तौफीक दे जिस में उसकी रिज़ा व खुशनूदी (संतुष्टि) है, और मेरा तथा उनका उन लोगों के रास्ते पे चलने का इंतिज़ाम व व्यवस्था कर दे जो उससे डरते हैं तथा उसका तक़वा अखिल्यार करते हैं। आमीन।

अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, अम्मा बा'दः  
(आप लोगों पर सलामती तथा अल्लाह की रहमत व बरकत नाज़िल हो। तत्पश्चातः)

मुझे यह बात पहुँची है कि बहुत से लोग जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने में कभी कभी सुस्ती व कठिली करते हैं। और दलील में कुछ ऐसे उलमा की राय पेश करते हैं जिन्होंने इस मामले में आसानी तथा नरमी बरती है। अतः लोगों के सामने इस विषय की अ़ज़मत व ख़तरनाकी (महत्व व संगीनी) बयान कर देना मैं ने अपना फ़र्ज़ समझा।

किसी मुसलमान के लिए उचित नहीं कि वह उस विषय को हेच व हकीर समझे (तुच्छ ज्ञान करे) जिसकी शान व अ़ज़मत (महत्व व गुरुत्व) अल्लाह तआला ने अपनी किताब 'कुरआन मजीद' में, और उसके रसूल मुहम्मद  ने अपनी हडीसों में बयान की हो।





अल्लाह तअ़ाला ने अपनी किताब में नमाज़ का बारबार ज़िक्र फ़रमाया, और उसकी शान व अ़ज़मत को बयान फ़रमाते हुए उसकी पाबंदी करने तथा जमाअ़त के साथ उसे अदा करने का हुक्म दिया है। और यह बताया है कि उसकी अदायेगी में काहिली व सुस्ती करना मुनाफ़िकों की सिफात (द्वयवादीयों के गुणों) में से है। अल्लाह तअ़ाला ने अपनी किताब में फ़रमाया:

﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ أَوْسُطٌ وَقَوْمُوا لَهُ قَدَّرْتِي ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

“नमाज़ों की हिफाज़त करो, विशेषकर मध्यवाली (खुसूसन दरमियानी वाली) नमाज़ की। और अल्लाह के लिए नम्रता पूर्वक (बाअदब) खड़े रहा करो।” {अल्लबक़रा: २३८}

भला बतायें तो सही कि बंदे की पाबंदी के साथ नमाज़ की अदायेगी और उसकी निगाह में नमाज़ की अ़ज़मत व महत्व का कैसे पता चलेगा अगर वह अपने भाईओं के साथ नमाज़ अदा करने से पीछे रहे और उसकी शान व अ़ज़मत को छेच व हकीर समझेः?! दूसरी जगह अल्लाह तअ़ाला ने फ़रमाया:

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا الْزَّكُورَةَ وَأَزْكُمُوا مَعَ الْزَّكُورِ ﴾ [البقرة: ٤٣]

“और नमाज़ अदा करो तथा ज़कात दो और रुकूअ् करने वालों के साथ रुकूअ् करो।” {अल्लबक़रा: ४३}

उक्त आयत जमाअ़त में नमाज़ पढ़ने के वाजिब होने की तथा नमाज़ीयों के साथ नमाज़ में शरीक होने की दलील है। अगर आयत का अर्थ सिर्फ़ नमाज़ कायम करना ही होता, तो आयत के अखीर में इस टुकड़े ﴿ وَأَزْكُمُوا مَعَ الْزَّكُورِ ﴾ यानी “और रुकूअ् करने वालों के साथ रुकूअ् करो।” का उल्लेख अनर्थक (ज़िक्र बेमक़सद) होता और आयत



के शुरू तथा अंत के भाग में कोई संगति (मुनासबत) बाकी न रह जाती, क्योंकि नमाज़ कायम करने का हुक्म तो आयत के शुरू भाग में मौजूद है, और वह है ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ यानी “नमाज़ कायम करो।”

अल्लाह तआला ने और फरमाया:

﴿إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقْرَبْتَ لَهُمْ أَصْلَوَةً فَلَنْقُمْ طَائِفَةً مَّنْهُمْ مَعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلَحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَاءِ كُمْ وَلَنَّا تَ طَائِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصْكِلُوا فَلَيَصْلُلُوا مَعَكَ وَلَيَأْخُذُوا جَدَرَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]

“और जब आप उनमें हों और उनके लिए नमाज़ खड़ी करें तो चाहिए कि उनकी एक जमाअत आपके साथ हथियार लिये खड़ी हो, फिर जब यह सज्दा कर चुकें तो यह हट कर तुम्हारे पीछे आ जायें, और दूसरी जमाअत जिसने नमाज़ नहीं पढ़ी वह आ जाये और आपके साथ नमाज़ अदा करे, और अपना बचाव तथा अपना हथियार लिये रहे।” {अन्निसा: ٩٠٢}

अल्लाह तआला ने जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने को युद्धावस्था (हालते जंग) में वाजिब करार दिया, तो शांतिपूर्ण अवस्था (हालते अम्न) में क्योंकर वाजिब न होगी?!

अगर किसी को जमाअत के साथ नमाज़ न अदा करने की इजाज़त होती तो रणक्षेत्र (मैदाने जंग) में दुश्मनों से मुकाबला करने वाले तथा उनके आक्रमण (हमलों) के घेरे में आने वाले इस बात के ज्यादा हक़दार बनते कि उनको जमाअत के साथ नमाज़ न अदा करने की इजाज़त दी जाये। और जब ऐसा नहीं हुआ, तो पता चला कि जमाअत के साथ नमाज़ अदा करना महत्वपूर्ण कर्तव्यों (अहम तरीन वाजिबात) में से है, और यह कि उससे पीछे रहना किसी के लिए जायज़ नहीं है।





﴿ बुखारी और मुस्लिम में अबू हुरैरा ؓ से मरवी (वर्णित) है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«لَقَدْ هَمِمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ بِرِجَالٍ مَعْهُمْ حُرْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشَهُدُونَ الصَّلَاةَ، فَأَحَرَقَ عَلَيْهِمْ بُيوْتَهُمْ».»

«निश्चय मैं ने इरादा किया कि मैं नमाज़ की इकामत का हुक्म दे दूँ, और फिर एक आदमी को हुक्म दूँ कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ा दे, फिर मैं अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को जिनके साथ लकड़ीयों के गट्रो हों ले कर उन लोगों के पास जाऊँ जो नमाज़ में हाज़िर नहीं होते हैं, अतः मैं उन समेत उनके घरों को आग लगा दूँ।»

﴿ सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन मसज़ूद ؓ से रिवायत है, उन्होंने कहा:

«لَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مَنَافِقُ عِلْمٍ نَفَاقُهُ، أَوْ مَرِيضٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ الرِّجَلَيْنِ حَتَّى يَأْتِي الصَّلَاةَ».»

«और मैं ने अपने लोगों का यह हाल देखा कि नमाज़ से वही पीछे रहता जो खुल्लम खुल्ला मुनाफ़िक (प्रकाश्य बहुमुखी) या बीमार होता। और अगर बीमार शख्स भी चलने पर क़ादिर (सक्षम) होता, तो दो आदमीयों के सहारे नमाज़ में हाज़िर होता।»

﴿ उन्होंने मज़ीद (अधिक) फ़रमाया:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلِمَنَا سُنَّةَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ».»

«निश्चय रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें हिदायत के तरीके सिखलाये, और हिदायत के तरीकों में से उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना भी है जिस में अज़ान दी जाती है।»





﴿ اُ० और सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन मसउद ﴾ से इस तरह भी मरवी (वर्णित) है, उन्होंने कहा:

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَدَا مُسْلِمًا فَلِيَحَافِظْ عَلَى هُؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادِيهِ بِهِنْ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرِعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَّةَ الْهُدَى، وَإِنَّهُ مِنْ سُنْنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنْكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ أَضَلَّلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَنْتَهِرُ فِيْحِسْنُ الطَّهُورِ، ثُمَّ يَعْمَدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَحْطُوْهَا حَسَنَةٌ، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرْجَةً، وَيَحْكُمُ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَغْلُومٌ النِّفَاقَ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفَّ».

«जिस शख्स को यह बात पसंद है कि कल को वह मुसलमान बन कर अल्लाह से मिले, तो उसको चाहिए कि वह इन नमाजों की उस जगह हिफाज़त करे जहाँ उनके लिए अजान दी जाये (यानी मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ अदा करे)। इस लिए कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी के लिए हिदायत के तरीके मुकर्रर फ़रमाये हैं। और यह नमाज़ भी हिदायत के तरीकों में से हैं। और अगर तुम नमाज़ अपने घरों में पढ़ोगे, जिस तरह यह पीछे रहने वाला अपने घर में नमाज़ पढ़ता है, तो तुम अपने नबी की सुन्नत छोड़ दोगे। और अगर तुम ने अपने नबी की सुन्नत छोड़ दी, तो यक़ीनन गुमराह हो जाओगे। और जो भी आदमी अच्छी तरह वुजू करके इन मस्जिदों में से किसी मस्जिद में जाने का इरादा करे, तो अल्लाह तआला उसके हर कदम के बदले एक एक नेकी लिखता है, और उसका एक दर्जा बुलंद फ़रमाता है तथा उसका एक गुनाह माफ़ कर देता है। और मैं ने तो अपने लोगों का यह हाल देखा है कि नमाज़ से वही पीछे रहता जो खुल्लम खुल्ला मुनाफ़िक़ होता। और कभी तो (बीमार) आदमी को दो आदमीयों के सहारे लाया जाता और सफ़ (क़तार) में खड़ा कर दिया जाता ॥»



﴿ اُ० और सहीह मुस्लिम ही में अबू हुरैरा ؓ से मरवी है, वह फरमाते हैं:

أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ لَيْسَ لِي فَائِدٌ يُلَاتِمُنِي إِلَى الْمَسْجَدِ، فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصْلِيٰ فِي بَيْتِي؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَحْبِبْ.

कि एक अंधा आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं जो मस्जिद तक ले आया करे, तो क्या मेरे लिए छूट (रुखःसत) है कि मैं अपने घर में नमाज़ पढ़ लूँ? तो नबी ﷺ ने उससे पूछा: «क्या तुम नमाज़ की अज्ञान सुनते हो?» उसने कहा: हाँ। आप ﷺ ने फ़रमाया: «फिर उसका जवाब दो या क़बूल करो (यानी मस्जिद ही मैं आ कर नमाज़ पढ़ो)।»

इनके अलावा और बहुत सारी हडीसें हैं जो जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के बुजूब (अनिवार्यता) पर तथा उसे अल्लाह के उन घरों में जिनके बुलंद करने तथा जिन में अपने नाम की याद का अल्लाह ने हुक्म दिया है क़ायम करने पर दलालत करती हैं।

अतः हर मुसलमान की यह ज़िम्मेदारी है कि वह इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, इसके लिए अग्रगामी (पेश पेश) रहे और अपने बच्चों, घर वालों, पड़ोसीयों तथा तमाम मुसलमान भाईओं को इसकी नसीहत व वसीयत करे। ताकि अल्लाह और उसके रसूल के आज्ञा का पालन (हुक्म की तामील) हो, और अल्लाह तथा उसके रसूल की निषेधकृत वस्तुओं (मना करदा चीज़ों) से बच सके, और उन मुनाफ़िकों की मुशाबहत (कपटाचारीयों की अनुख़्रपता) से दूर अवस्थान कर सकें जिन्हें अल्लाह तआला ने जघन्य गुणों से गुणान्वित (मज़मूम



سیفتوں سے میسون) کیا ہے۔ اور نماز سے سुستی تथا لापرواہی کرنा انکے جघن्यتار گوئے (باد ترین سیفتوں) میں سے اک ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ تआلا نے فرمایا:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَلِيلُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَارًاٖ  
يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يُذَكَّرُونَ اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًاٖ ﴿١٤٢﴾ مُذَكَّرُونَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هُنُولَاءِ وَلَا إِلَى  
هُنُولَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَنَّانٌ بَعْدَهُ لَهُ سَيِّلًا﴾ [النساء: ١٤٢]

‘نی: سندھ موناپیک لੋگ اللہ تعالیٰ تआلا سے چالبازیاں کر رہے ہیں، اور وہ انہیں اس چالبازی کا بدلہ دene والा ہے۔ اور جब وہ نماز کے لیے خडے ہوتے ہیں تو بडے االسو کی س्थیتی (بडی کا ہیلی کی ہالت) میں خڈے ہوتے ہیں، سیر کو دیکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد بس نام ماتر (باراۓ نام) کرتے ہیں۔ وہ بیچ میں لٹکے ڈگمگا رہے ہیں، ن پورے عناکی ترک، ن سہیہ تaur پر انکی ترک۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ تआلا بٹکا دے، تو تू اسکے لیے کوئی راستا نہیں پائے گا।’ {اننیسا: ۹۸۲-۹۸۳}

جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس لیے بھی واجیب ہے کہ اس سے پیछے رہنا نماز کو کوئی تaur پر (سیرے سے) چوڑ دene کے بडے کارणوں میں سے اک کارण ہے (یعنی انجیم اسوااب میں سے اک سبب ہے)۔ اور یہ بات مالتوں ہے کہ نماز کا چوڈنا کوکھ، گومراہی تथا اسلام کی پریشی (داورا) سے نیکلنما ہے۔ کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفَّرِ وَالشُّرُكِ تُرْكُ الصَّلَاةِ»۔ [آخرجه مسلم في صحيحه  
عن جابر

‘آدمی کے درمیان تھا کوکھ و شرک کے درمیان باधک (ہدے





फासिल) नमाज़ का छोड़ना है।» {इसे मुस्लिम ने अपनी सहीह में जाविर ﷺ से रिवायत किया है}

﴿एक दूसरी हव्वीस में रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया:

«الْعَهْدُ الَّذِي بَيَّنَنَا وَبَيَّنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

«वह (फ़र्क करने वाला) अःद्व व पैमान जो हमारे और उन (काफ़िरों) के दरभियान है, नमाज़ है। अतः जिसने नमाज़ छोड़ दी, वह यक़ीनन काफ़िर हो गया।»

नमाज़ की शान व अःज़मत पर तथा पाबंदी के साथ उसकी अदायेगी के वाजिब होने, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसे कायम करने और उसके छोड़ने की मनाही पर आयतें और हव्वीसें बहुत ज्यादा तथा मारुफ व मशहूर (बिदित व प्रसिद्ध) हैं।

अतः अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करते हुए तथा अल्लाह के ग़ज़ब और उसके दर्दनाक अज़ाब (कष्टजनक यातना) से डरते हुए हर मुसलमान पर वाजिब है कि निर्धारित समय (औक़ाते मुकर्ररा) पर उसकी अदायेगी की पाबंदी करे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसे कायम करे और उसके घरों (मस्जिदों) में जमाअत के साथ अपने मुसलमान भाईओं के साथ उसे अदा करे।

जब हक़ (सत्य) ज़ाहिर तथा प्रकट हो जाये और उसकी दलीलें वाज़िह तथा स्पष्ट हो जायें तो किसी के लिए जायज़ नहीं कि वह किसी की राय तथा मत के कारण उससे मुँह मोड़े। क्योंकि अल्लाह तअ़ाला का फ़रूमान है:

﴿فَإِنْ تَنْتَرَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحَسْنُ تَأْوِيلًا﴾ [ النساء: ٥٩]



“अगर तुम किसी चीज़ में इख्तिलाफ़ करो तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ, अगर तुम्हें अल्लाह तआला और कियामत के दिन पर ईमान है, यह बहुत बेहतर है और अंजाम के एतिबार से भी बहुत अच्छा है।” {अन्निसा: ५६}

एक दूसरी आयत में अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿فَإِنْ يَحْدُرِ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ عَنْ أُمُورِهِنَّ فَتَنَّهُمْ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتَنَّهُمْ أَنْ تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]

“जो लोग रसूल के आदेश का विरोध करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं उन पर ज़बरदस्त आफत न आ पड़े या उन्हें कोई दर्दनाक अज़ाब न पहुँचे।” {अन्नूर: ६३}

किसी पर यह बात पोशीदा नहीं कि जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने के बहुत सारे फ़वाइद (लाभ) और बेशुमार मसलहतें (भलाईयाँ) हैं। सबसे वाज़िह तथा स्पष्ट फ़वाइद में से चंद यह हैं: एक दूसरे से जान पहचान, भलाई तथा तक्वा व परहेज़गारी के कार्मों पर परस्पर सहायता (बाहमी तआउन), हक़ बात की तलकीन व वसीयत तथा उस पर सब्र करने की नसीहत (उपदेश), पीछे रहने वालों की हिम्मत अफ़ज़ाई (प्रोत्साहन), नादानों की तालीम, मुनाफ़िकों को गुस्सा दिलाना और उनके तौर तरीके से दूर रहना, अल्लाह के बंदों के दरमियान उसके शआइर (प्रतीकों) को ज़ाहिर तथा प्रकट करना और कौल व अमल के ज़रीया उसकी तरफ दअ़्यवत देना वग़ैरा (कथन व कर्म द्वारा उसकी ओर आव्वान करना इत्यादि)।

अल्लाह तआला हमें और आपको उस चीज़ की तौफ़ीक (प्रेरणा) दे जिसमें उसकी रिज़ा व खुशनूदी (संतुष्टि) तथा दुनिया व आखिरत की भलाई हो। और हम सभों को नफ़सों की शरारतों तथा कर्मों की





बुराईयों से और कफिरों तथा मुनाफिकों की मुशावहत (अनुरूपता) से बचा ले। बेशक वह बड़ा ही सख्ती और करीम (दानशील और उदार) है।

वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह (आप लोगों पर सलामती तथा अल्लाह की रहमत व बरकत नाज़िल हो।)

व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नविथ्यना मुहम्मदिंव व आलिहि व सहविह। (अल्लाह की रहमत और सलामती नाज़िल हो हमारे नवी मुहम्मद पर, और आपके आल व औलाद तथा आपके सहावियों पर।)







नवी नवी की नमाज का तरीका

42





## गाने बजाने का हुक्म

रचनाः सम्मानित शैख़ अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ (रहिमहुल्लाह)

निःसंदेह गाने सुनना हराम तथा मुंकर अप्र (गर्हित विषय) है। और यह दिलों की बीमारी, उनकी सख्ती, और अल्लाह की याद तथा नमाज़ से रोकने के अस्वाब (कारणों) में से है। अकसर अहले इल्म (अधिकांश विद्वानों) ने अल्लाह तभाला के इस कौल की तफ्सीर:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِئِ لَهُ الْحَكِيرَ [القمان: ٦]

“और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लग्ब बातों को मोल लेते हैं।” {लुक्मानः ६} गाने से की है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद  कसम खा कर कहते थे कि  से मुराद गाना बजाना है।

और अगर गाने के साथ कोई वाद्य यंत्र (बाजा) हो -जैसे सारंगी (Rebeck), बीन (Lute), चौतारा (Violin) और तबला (Drum) इत्यादि- तो उसकी हुरमत व मनाही ज्यादा सख्त हो जाती है। कुछ उलमा ने उल्लेख किया है कि अगर गाने के साथ वाद्य यंत्र हो तो उसके हराम होने पर सब का इजाम व इत्तिफ़ाक (सर्वसम्मत सिद्धांत) है।

अतः इससे बचना तथा सतर्क रहना वाजिब है। सहीह हदीस में है, रसूलुल्लाह  ने फ़रमाया:

لِيُكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحْلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔

«बेशक मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग ज़रुर होंगे जो ज़िना, रेशमी कपड़ा, शराब और गाने बजाने तथा वाद्य यंत्र को हलाल समझेंगे।»



मैं आपको और आपके अलावा दूसरे भाईओं को (सऊदी अरब के) रेडीयो सेंटर 'इज़ाअतुल कुरआनिल करीम' में प्रचार किया जाने वाला प्रोग्राम कुरआन की तिलावत और प्रोग्राम 'नूरुन अलद्दरब' सुनने की नसीहत करता हूँ, क्योंकि इन दोनों प्रोग्रामों में अ़ज़ीम फ़वाइद (बृहत लाभ) हैं, और गाने बजाने तथा म्यूज़िक आदि सुनने से बेनियाज़ (निःस्पृह) करने वाले हैं।

रही बात शादी की तो उस में रात के कुछ हिस्से में, सिर्फ़ औरतों के लिए, निकाह के एलान तथा जायज़ और नाजायज़ निकाह के दरमियान फ़र्क़ करने की ग़र्ज़ से, उन आम गानों के साथ जिनमें हराम चीज़ की तरफ़ आव्हान व दअ़्यवत न हो और न उनमें किसी हराम की तारीफ़ व प्रशंसा हो, तो दुफ़ (डफ़ली) बजाना जायज़ है। जैसाकि इस बारे में नबी ﷺ से सही हदीसें साबित हैं।

लेकिन शादी की महफ़िल में ढोल व तबला बजाना जायज़ नहीं है, अतः खुसूसन दुफ़ (विशेषकर डफ़ली) पर ही बस किया जायेगा। और निकाह के एलान की ग़र्ज़ से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना और उसमें आम गाने गाना जायज़ नहीं है। क्योंकि उसमें विशाल फ़ितना, भयानक परिणाम और मुसलमान भाईओं को तकलीफ़ पहूँचाना है।

इस प्रोग्राम को काफ़ी देर तक चलाना भी जायज़ नहीं है, बल्कि जितने कम समय में निकाह के एलान का मक़सद हासिल हो जाये उतने ही पर बस किया जायेगा। क्योंकि ज्यादा देर तक इस प्रोग्राम के जारी रहने से फ़ज़्र की नमाज़ गोल होने तथा उसे उसके वक्त में अदा करने से सोये रहने का ख़तरा है, और यह बृहत हराम विषयों तथा मुनाफ़िकों के कर्मों में से है।



यह हैं गाने बजाने के हराम होने पर सलफे सालिहीन (नेक पूर्वसूरीयों) -अल्लाह उनसे राजी हो- की उकियों से कुछ दलीलें:

- ❖ अबू बक्र सिद्दीक  ने फरमाया: गाना और म्यूजिक शैतान की बाँसुरी (Flute) है।
- ❖ इमाम मालिक बिन अनस रहिमहुल्लाह ने फरमाया: हमारे नज़दीक यह है कि गाने बजाने फ़ासिक (पापाचारी) लोग ही करते हैं। और शाफ़िईया (इमाम शाफ़िई की पैरवी करने वाले) गाने बजाने को बातिल तथा दुश्मनी के साथ तशबीह (उपमा) देते हैं।
- ❖ इमाम अहमद रहिमहुल्लाह ने फरमाया: गाना दिल में निफाक (कपटता) जन्म देता है, अतः वह मुझे बिल्कुल नापसंद है।
- ❖ इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के पैरोकारों (अस्हाब) ने कहा: गाना सुनना फ़िस्क व फुजूर (दुराचार व पापाचार) है।
- ❖ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फरमाया: गाने की इबतिदा (आरंभ) शैतान की तरफ से होती है और उसका अंजाम व परिणाम रहमान (अल्लाह) का ग़ज़ब होता है।
- ❖ इमाम कुरतुबी ने फरमाया: गाना कुरआन व हडीस से मना है।
- ❖ इमाम इब्ने सलाह ने फरमाया: म्यूजिक व बाजे (वाद्य यंत्र) के साथ गाना बिल्डिटिफ़ाक़ (सर्वसम्मत रूप से) हराम है।





## तस्वीर का हुक्म

**फृत्वा:** सम्मानित शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ (राहिमहुल्लाह)

**सवाल:** तस्वीर जो समस्या बड़ी आम हो चुकी है और लोग उसकी दलदल में फँस गये हैं, उसके हुक्म के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं?

**जवाब:** सब तारीफ़ व स्तुति अल्लाह के लिए है। दुरुद व सलाम हो उन पर जिनके बाद कोई नवी नहीं। अम्मा बाद (तत्पश्चात्):

हदीस की किताबों (सिहाह, मसानीद और सुनन) में नवी ﷺ से बहुत सी हदीसें आई हैं, जो तमाम ज़ी रुह (प्राणी) -चाहे इंसान हो या कोई और- की तस्वीर उतारने की मनाही पर दलालत करती हैं। नवी ﷺ के लटकते परदों जिन में तस्वीरें बनी थीं के चाक करने का हुक्म, तस्वीरों के मिटा डालने का आदेश, तस्वीर बनाने वालों पर लानत व अभिशाप तथा कियामत वाले दिन उनका सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब में मुबतिला होना, यह सब तस्वीर उतारने की हुरमत व मनाही की दलीलें हैं।

अब मैं आपकी खिदमत में इस विषय के संबंध में कुछ सहीह हदीसें पेश कर रहा हूँ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَبَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَحَلْقِي، فَلَيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لَيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لَيَخْلُقُوا شَعِيرَةً.» [متفق عليه، واللفظ لمسلم]

अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «अल्लाह तआला ने फ़रमाया: उस से बड़ा अत्याचारी कौन



होगा जो मेरे पैदा करने की तरह पैदा करने की कोशिश करता है, (अगर हो सके तो) एक ज़र्रा (कण), या एक दाना, या एक जौ ही पैदा करके दिखाए » {बुखारी व मुस्लिम, हदीस के शब्द मुस्लिम के हैं}

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَشَدَ النَّاسِ عَدَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ۔ [متفق عليه]

अबू सईद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया: «कियामत के दिन सब से सख्त अ़ज़ाब भोग करने वाले तस्वीर उतारने वाले लोग होंगे » {बुखारी व मुस्लिम}

عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْبِيُوا مَا حَلَقْتُمْ۔ [متفق عليه, واللفظ للبخاري]

इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया: «बेशक वह लोग जो यह तस्वीरें बनाते हैं कियामत के दिन उनको अ़ज़ाब दिया जायेगा, उनसे कहा जायेगा: तुम ने जो तस्वीरें बनाई थीं उनको ज़िदा करो » {बुखारी व मुस्लिम, हदीस के शब्द बुखारी के हैं}

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكُلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغْيِ، وَلَعْنِ أَكْلِ الرِّبَا، وَمُوكَلَةِ الْأُوْلَائِ، وَالْمُسْتَوْشَمَةِ، وَالْمُصَوِّرَ۔ [روايه البخاري]

अबू जुहैफा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने खून की कीमत, कुत्ते की कीमत और बदकार औरत की कमाई से मना फरमाया है। और सूद खाने वाले तथा खिलाने वाले और गोदना गोदने तथा गोदवाने वाली तथा तस्वीर उतारने वालों पर लानत फरमाई है। {बुखारी}

عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَوَرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، كَلَفَ أَنْ يَنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ۔ [متفق عليه]



इन्हे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैं ने रसूलुल्लाह ﷺ को फरमाते हुये सुना: «जिसने दुनिया में कोई तस्वीर बनाई, उसे कियामत वाले दिन मजबूर किया जायेगा कि वह उसमें खह फूँके, जबकि वह खह फूँकने पर क़ादिर (सक्षम) नहीं होगा।» [बुखारी व मुस्लिम]

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسَ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَصْوَرُ هَذِهِ الصُّورَ، فَأَفْتَنَنِي فِيهَا، فَقَالَ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَّا مِنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَّا مِنِّي حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: أَبْتَكِ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُ: كُلُّ مَصْوَرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ كُلُّ صُورَهَا صُورَهَا نَفْسٌ تَعْذِيبَةٌ فِي جَهَنَّمِ». وَقَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بَدَ فَاعْلِمْ فَاصْنِعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسٌ فِيهِ. [متفق عليه]

सर्वद बिन अबुल हसन से रिवायत है, उन्होंने कहा: एक आदमी इन्हे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा के पास आया और कहा: मैं ऐसा आदमी हूँ जो यह तस्वीरें बनाता हूँ, आप मुझे इस बारे में फ़तवा दीजिये। उन्होंने कहा: मेरे करीब हो जायें, वह आपके करीब आये तो फिर फरमाया: ज़रा और करीब आइये, पस वह आप से इतना करीब आये कि आप ने उनके सर पर हाथ रख कर फरमाया: मैं तुम्हें वही बात बताता हूँ जो मैं ने रसूलुल्लाह ﷺ से सुनी है। मैं ने रसूलुल्लाह ﷺ को फरमाते हुये सुना: «हर तस्वीर बनाने वाला जहन्नमी है। उसकी हर तस्वीर के बदले में जो उसने बनाई होगी एक शख्स बनाया जायेगा जो उसे जहन्नम में अ़ज़ाब देगा।» इसके बाद इन्हे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया: अगर तुम्हें तस्वीर ज़खर ही बनानी हो तो दरख्त की और ऐसी चीज़ की तस्वीर बनाओ जिसमें रुह हो। [बुखारी व मुस्लिम]





## दाढ़ी मुंडाने का हुक्म

रचना: सम्मानित शैख मुहम्मद बिन सालिह अल्उसैमीन (रहिमहुल्लाह)

दाढ़ी मुंडाना हराम है, इस लिए कि इस में रसूलुल्लाह ﷺ की अवज्ञा व अबाध्यता (नाफ़रमानी) है। क्योंकि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«أَعْفُوا اللَّحْيَ وَخُفِّوا الشَّوَارِبَ».

«दाढ़ी को माफ़ कर दो (बढ़ाओ) और मोঁছें काटो!»

और उसके हराम होने का एक कारण यह भी है कि यह रसूलों के तरीके (आदर्श) से निकल कर मजूस तथा मुशरिकों (अग्निपूजक तथा बहुत्वादीयों) के तरीके को अपनाना है।

दाढ़ी की तारीफ (संज्ञा): अहले लुगत (अभिधायकों) ने कहा कि वह: चेहरे, दोनों जबड़े और दोनों गाल के बाल हैं। अर्थात् हर वह बाल जो दोनों गाल, दोनों जबड़े तथा ठोड़ी पर है वह दाढ़ी के अंतर्गत (क़बील से) है।

अतः उन बालों में से कुछ लेना (काटना या मुंडाना) भी रसूलुल्लाह ﷺ की नाफ़रमानी में शामिल है, क्योंकि आप ﷺ ने मुख्तलिफ अल्फ़ाज़ (विभिन्न शब्दों) में फ़रमाया:

«أَعْفُوا اللَّحْيَ...». «أَرْخُوا اللَّحْيَ...». «وَفَرُوا اللَّحْيَ...». «أَوْفُوا اللَّحْيَ...».

«दाढ़ी को माफ़ कर दो ---» «दाढ़ी को लटका दो ---»  
 «दाढ़ी बढ़ाओ ---» «दाढ़ी को पूरा हक़ दो ---» (इन सारे शब्दों का मतलब एक ही है, यानी: दाढ़ी को अपने हाल पर छोड़ दो।)





हादीस के इन तमाम अल्फ़ाज़ से स्पष्ट साबित होता है कि दाढ़ी में से कुछ लेना (काटना, मुंडाना, शेव तथा सेप-साइज़ करना प्रभृति) जायज नहीं है। लेकिन नाफ़रमानीयों के दर्जे मुख्तलिफ़ हैं, पस मुंडाना उन में सब से बड़ी नाफ़रमानी है। क्योंकि इस में थोड़े मोड़े (अल्प स्वल्प) काटने की बनिस्वत (तुलना में) रसूलुल्लाह की ज्यादा धोर तथा स्पष्ट मुखालफ़त (विरोधिता) है।





## मर्दों के लिए टखने से नीचे कपड़ा लटकाने का हुक्म

**रचना:** सम्मानित शैख़ मुहम्मद बिन सालिह अल-उसैमीन (रहिमहुल्लाह)

अगर तहबंद (लुंगी, पाजामा, शलवार, पैंट, पतलून आदि) गुरुर व तकब्बुर की ग़र्ज़ (दर्प व गर्व के उद्देश) से टखने से नीचे लटकाये, तो उसकी सज़ा यह है कि कियामत के दिन अल्लाह तआला न उसकी तरफ (रहमत की नज़र से यानी करुणा की दृष्टि से) देखेगा, न उससे बात करेगा और न उसे पाक-पवित्र करेगा, और उसके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब (कष्टजनक शास्ति) होगा। और अगर गुरुर व घमंड की ग़र्ज़ से न लटकाये, तो उसकी सज़ा यह है कि जो हिस्सा टखनों से नीचे होगा उसे आग से सज़ा दी जायेगी। क्योंकि नबी ﷺ ने फरमाया:

ثَلَاثٌ لَا يَكُلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَانُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ.

“तीन लोग ऐसे हैं जिन से अल्लाह तआला कियामत के दिन न बात करेगा, न उनकी तरफ (रहमत की दृष्टि) से देखेगा और न ही उनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब (कष्टजनक शास्ति) होगा। (वह लोग हैं) अपने तहबंद को (टखने से नीचे) लटकाने वाला, इहसान जतलाने वाला और झूटी क़स्मों से अपना सामान बेचने वाला ॥»

और एक दूसरी हड्डीस में नबी ﷺ ने फरमाया:

مَنْ جَرَّ ثُوبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“जो शख्स तकब्बुर के साथ अपना कपड़ा ज़मीन पर घसीटता





हुआ चले, कियामत के दिन अल्लाह तभ़ाला उसकी तरफ रहमत की निगाह (करूणा की दृष्टि) से नहीं देखेगा ॥

यह तो है उन लोगों के बारे में जो गुरुर व घमंड से अपना कपड़ा धरती पर घसीटता हुआ चलते हैं।

रही बात उन लोगों की जिनका मक्सद (उद्देश) गुरुर व तकब्बुर न हो, तो उनके बारे में सहीह बुखारी में अबू हुरैरा رضي الله عنه से मरवी (वर्णित) है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ .

«तहबंद (वगैरा) का जो हिस्सा टख्नों से नीचे होगा, वह आग में होगा ॥»

इस हदीस में तकब्बुर के साथ कपड़े लटकाने की कैद नहीं लगाई गई है, और यह बात भी वाज़िह तथा स्पष्ट नहीं होती है कि साबिक हदीस को बुनियाद बना कर उसकी (यानी तकब्बुर के साथ कपड़े लटकाने की) कैद लगाई जाये। क्योंकि अबू سर्झ़द खुदरा رضي الله عنه की हदीस में आया है, वह फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

لَرْدُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نُصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرْجٌ . أَوْ قَالَ: لَا جُناحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ جَرَأَهُ بَطَرًا، لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . [رواه مالك، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، ذكره في كتاب الترغيب والترحيب في الترغيب في القميص (٨٨/٣)]

«मु'मिन का तहबंद आधी पिंडली तक है, और कोई हर्ज नहीं ॥» या फ़रमाया: «कोई गुनाह नहीं अगर आधी पिंडली से टख्नों तक के दरमियान हो। और जो टख्नों से नीचे होगा, वह आग में होगा। और जो अपना तहबंद (वगैरा) तकब्बुर के तौर पर टख्नों से नीचे



घसीटता हुआ चलेगा, अल्लाह तभाला कियामत के दिन उसकी तरफ (रहमत की नज़र से) नहीं देखेगा ॥ {इसे मालिक, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा और इब्ने हिब्बान ने अपनी सहीह में रिवायत किया है, तथा इसे किताब ‘अल्लरगीब वत्तरहीब’ में ‘अल्लरगीब फिलकमीस’ में उल्लेख किया है}

(उक्त दोनों प्रकार के लोगों की सज़ा में फ़क़ का सबब यह भी है कि) दोनों अ़मल अलग अलग हैं, इस लिए सज़ा भी अलग अलग है। और जब हुक्म और सबब मुख्तालिफ़ हों, तो मुतलक़ को मुक़्यद पर महमूल करना जायज़ नहीं, क्योंकि इस से तनाकुज़ लाज़िम आता है।

(सहीह बुखारी में है कि अबू बक़्र  ने रसूलुल्लाह  से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे कपड़े का एक किनारा ज़रूर ही नीचे लटक जाता है, मगर यह कि मैं बहुत ज़्यादा उसका ख़्याल रखूँ। तो रसूलुल्लाह  ने उन से फ़रमाया: «तुम उन लोगों में से नहीं हो जो तकब्बुर के तौर पर ऐसा करते हैं ॥»)

कुछ लोग अबू बक़्र  की उक्त हदीस को (वैगैर तकब्बुर की ग़र्ज़ से टख़ने से नीचे कपड़ा लटकाने के जवाज़ (वैधता) पर तथा इसकी वजह से सज़ा न दिये जाने पर) हुज्जत व दलील बना कर पेश करते हैं। तो हम उन से कहेंगे कि इस में आपके लिए कोई हुज्जत (दलील) नहीं है। और इसकी दो वजह (कारण) हैं:

पहली वजह: अबू बक़्र  ने फ़रमाया:

«إِنَّ أَحَدَ شَقِّيْ ثُوْبِيْ يَسْتَرْخِيْ، إِلَّا أَنْ اتَّعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ۔»

«मेरे कपड़े का एक किनारा ज़रूर ही नीचे लटक जाता है, मगर यह कि मैं बहुत ज़्यादा उसका ख़्याल रखूँ ॥»






पता चला कि अबू बक्र गुरुर व घमंड से अपना कपड़ा नहीं लटकाते थे, बल्कि वह खुद से लटक जाता था, इसके बावजूद नीचे न लटकने का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। अतः वह लोग जो टख़ने से नीचे लटकाते हैं, और यह गुमान करते हैं कि वे बगैर तकब्बुर की नियत के जानबूझ कर अपने कपड़े लटकाते हैं, तो हम उन से कहेंगे कि अगर आप बगैर तकब्बुर की नियत के जानबूझ कर अपने कपड़ों को टख़नों से नीचे लटकाते हैं, तो आपको सिर्फ़ टख़नों से नीचे लटकाने की जगह पर अ़ज़ाब होगा। और अगर आप फ़ख़ व ग़र्व के साथ धरती पर अपने कपड़े घसीट कर चलते हैं, तो आपको इस से बड़ा अ़ज़ाब दिया जायेगा, यानी: अल्लाह तआला कियामत के दिन आप से न बात करेगा, न आपकी तरफ़ (रहमत की दृष्टि) से देखेगा और न ही आपको पाक करेगा, और आपके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब (कष्टजनक शास्ति) होगा।

**दूसरी वजह:** नवी ने अबू बक्र का तज़्किया फरमाते हुये (को पवित्र तथा निर्दोष क़रार देते हुये) गवाही दी कि वह उन लोगों में से नहीं हैं जो तकब्बुर के तौर पर ऐसा करते हैं। तो क्या इन लोगों में से कोई है जिसे नवी की तरफ़ से यह तज़्किया तथा सर्टीफ़िकट मिला हो? लेकिन शैतान कुछ लोगों के लिए कुरआन व हडीस की बातों में से मुतशाबिह उमूर (रूपक विषयों) के पीछे लगने का द्वार खोल देता है, ताकि उनके लिए उनके आमाल (कर्मों) के जायज़ होने की सूरत (वजहे जवाज़) पैदा कर दे। अल्लाह तआला ही जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है।





## धूप्रपान (बीड़ी तथा सिगरेट आदि पीने) का हुक्म

फ़त्वा: सम्मानित शैख़ मुहम्मद बिन सालिह अल्उसैमीन (रहिमहुल्लाह)

सम्मानित शैख़ से गुज़ारिश है कि दलीलों की रोशनी में हुक्म तथा सिगरेट पीने का हुक्म बयान करें।

जवाब: हुक्म तथा सिगरेट पीना हराम है, इसकी दलीलें यह हैं।  
अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَلَا نَنْهَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]

“और तुम अपने आपको हत्या न करो, निश्चय अल्लाह तुम पर कृपालु है।” {अन्निसा: २६}

अल्लाह तआला ने दूसरी जगह फ़रमाया:

﴿وَلَا تُنْقِلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]

“और तुम अपने हाथों हलाकत व तबाही में न पड़ो।” {अल्बकरा: ٩٦٥}

तिब्ब (चिकित्साशास्त्र) से यह बात सावित हो चुकी है कि इन चीजों का इस्तेमाल नुकसान देह (हानिकारक) है, और जब वह हानिकारक है, तो हराम है।

दूसरी दलील अल्लाह तआला का यह फ़रमान है:

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا﴾ [النساء: ٥]

“बेअङ्कलों (बुद्धिहीनों) को अपना माल जिसे अल्लाह ने तुम्हारा सहारा बनाया है न दो।” {अन्निसा: ५}





इस आयत में अल्लाह तभीला ने हमें नादानों तथा बैअ़क्लों को अपना माल देने से मना फ़रमाया है, क्योंकि वह उस में फुजूल ख़र्ची करेंगे तथा उसे बरबाद कर डालेंगे। और इस में कोई शक नहीं कि बीड़ी व सिगरेट तथा हुक्का ख़रीदने में माल ख़र्च करना फुजूल ख़र्ची और उसे बरबाद करना है। अतः वह (धूम्रपान तथा हुक्का नोशी आदि) इस आयत की रोशनी में भी हराम है।

हदीस से दलीलः रसूलुल्लाह ﷺ ने माल नष्ट तथा बरबाद करने से मना फ़रमाया है। और एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا ضَرَرُ وَلَا ضَرَارٌ»

«किसी को नुकसान पहुँचाना जायज़ नहीं, न प्राथमिक रूप से न मुकाबला करते हुए»

(और इस में कोई शक नहीं कि) इन चीज़ों का इस्तेमाल क्षति तथा नुकसान से ख़ाली नहीं। इसी तरह यह चीज़ें इंसान को अपना गिरवीदा (आसक्त) बना लेती हैं, जब यह उसे न मिले तो उसका सीना कुढ़ता है तथा दुनिया उस पर तंग हो जाती है। अतः उस ने अपने आपको ऐसी चीज़ों का आसक्त बना लिया जिसकी उसे कोई ज़खरत नहीं थी।





## दिली नसीहत व पैग़ाम अल्लाह पर ईमान रखने वाले हर गैरतमंद बाप के नाम

57

नबी ﷺ ने फरमाया:

لَا أَحَدَ أَغْنِيُّ مِنَ اللَّهِ، يَرْزُقُ عَبْدَهُ أَوْ تَرْزُقُنِي أَمْهَتُهُ۔

«अल्लाह से बढ़ कर गैरतमंद कोई नहीं, उसका बंदा ज़िना करे या उसकी बंदी ज़िना करे ॥»

और निःसंदेह सारे इंसान उसके बंदे तथा उसकी बंदीयाँ हैं। अल्लाह के रसूल ﷺ ने फरमाया:

أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لَا تَأْغِيرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَعْلَمُ  
وَمِنْ أَجْلِ غِيرَتِهِ حَرَمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔

«क्या तुम सअ्रुद की गैरत पर तअज्जुब करते (आशर्य होते) हो? बेशक मैं उस से ज्यादा गैरतमंद हूँ, और अल्लाह तआला मुझ से ज्यादा गैरतमंद है। पस अल्लाह तआला को गैरत आती है, और गैरत ही के कारण उस ने सभी प्रकाश्य तथा अप्रकाश्य अश्लील विषयों (तमाम ज़ाहिरी और बातिनी फुहश बातों) को हराम किया है ॥»

**गैरत:** खुददारी, आत्म सम्मान, हराम करदा (निषिद्ध) चीजों पर गुस्सा और खेलवाड़ों के हाथों से तथा बुरी नज़र वालों की नज़रों से उनकी हिफ़ाज़त करने का नाम है। और जिस शख्स में गैरत न हो तो वह ऐसा दयूस (बेगैरत) है जो अपने परिवार में ख़बासत व बुराई देख कर ख़ामोश रहता है, और उसके बारे में हकीस में आया है कि वह जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा।






निःसंदेह सारे मुंमिन व मुत्तकी (विश्वासी व संयमी) अपनी बीवीयों तथा बेटीयों और अपने सभी रिश्तादारों पर गैरतमंद होते हैं। और उनकी इस गैरत के आसार (लक्षणों) में से यह है कि वह उनकी निगरानी तथा उनकी ख़बरगीरी (देखरेख) करते रहते हैं, उन्हें मर्दों के साथ समिश्रण व समागम (इश्किलात) से रोकते हैं, और उन मजलिसों तथा समावेशों से भी बाधा प्रदान करते हैं जिन में भीड़-भाड़ होती है तथा ऐसा जमघट होता है कि शरीर शरीर से रगड़ते और चिपकते हैं। विशेषकर इन जगहों में बुरे दिल वालों तथा बद मिजाजों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि उन में ज्यादा हँसी मज़ाक, छेड़खानी, इश्किया गुफ्तगू और गिरी हुई बातें हुआ करती हैं, जो ख़ाहिशात (मनोच्छाओं) को भड़काने और कमज़ोर ईमान वाले नफ़सों को जुर्म व अपराध तथा फुहश व बदकारी करने का सबब बनती हैं।

इन बाज़ारों तथा मार्केटों में इग़वा (अपहरण) के कितने हादिसे पेश आते हैं! मुलाकात के लिए कितने बादे दिये जाते हैं! कितनी स्पष्ट व अस्पष्ट बातें तथा गुफ्तगू होती हैं! और गार्जनों तथा अभिभावकों का हाल यह है कि वह ग़फ़लत की नींद सोये हुये अपने आधीनों के संबंध में सुधारणा पोषण करते हैं (यानी अपने मातृत्वों के बारे में हुस्ने ज़न रखते हैं), और हुये घटनाओं के बारे में ज़रा बराबर भी उनको ख़बर नहीं होती है।

एक दूरदेश (दूरदर्शी) गैरतमंद शख्स की यह ज़िम्मादारी है कि वह सदा सर्वदा अपने महारिम (जैसे माँ, बहन, बेटी, बीवी वगैरा) के साथ रह कर उनकी निगरानी तथा उनकी हिफ़ाज़त करे। उन्हें बिगाड़ के सारे अस्वाब व माध्यमों से बाज़ (विरत) रखे। नकेड़ फ़िल्में और फ़िल्मा अंगेज़ (उत्तेजक) तस्वीरें देखने से उन्हें रोके। उन्हें बाधा प्रदान





करे ऐसे निर्लज्ज (बेहया) गानों के सुनने से जो शहवत (मनोस्कामना) को उभारते तथा आत्माओं को हराम की तरफ ढकेलते हैं।

इसी तरह उसका फर्ज़ है कि वह बाजारों, अस्पतालों, -घर से स्कूल के क्लास रूम पहुँचने तक- रास्तों में अपने महारिम के साथ रहे। अनुरूप उनके घरों से निकल कर बसों में बैठने तक, शादी हालों, आवासों तथा आम निवासों इत्यादि में उनके साथ रहे। ताकि वह उन पर हमला तथा छेड़ छाड़ किये जाने से मुतमझन हो जाये, और उनकी रहम दिली तथा नरम लहजे में मीठी मीठी बात करने (के कारण दूसरों के चंगुल में फँसने) से निश्चिंत हो जाये। क्योंकि वह कोमल प्रकृति (नर्म मिज़ाज) और कवी शहवत (तीव्र भोगेच्छा) का शिकार होती हैं जब वह मर्दों को देखती हैं या शहवत को भड़काने वाली कुछ बातें सुनती हैं तो उनकी दिफ़ाई सलाहियत कमज़ोर होने से मामून (प्रतिरोध क्षमता दुर्वल होने से बेखौफ़) नहीं होती।

इस लिए विशेषकर इस पुर फितन दौर में जहाँ चारों तरफ बिगाड़ ही बिगाड़ है तथा अंदरुनी व बाहरी (दाखिली व खारिजी) शहवात व ख़ाहिशात को मुहय्या करने वाले और फरोग देने वाले अस्वाब व वसायेल मौजूद हैं, जिम्मेदारों पर अपने आधीनों की पूरी निगरानी और मुकम्मल हिफाज़त आवश्यक तथा ज़खरी है। इसी तरह अपने बच्चे तथा बच्चीयों को पवित्र व सच्चरित्र (पाक दामन) बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यह उनके दिलों को हराम की तरफ मायेल (अग्रसर) होने अथवा नफ़स को पाप या फुहश काम करने पर उभारने वाली चीज़ देख कर या सुन कर उसकी तमन्ना करने से रोकता है। और पाप व फुहश अल्लाह की नाराज़गी, उसकी गैरत और लोगों पर ख़ास व आम सज़ा उतारने का सबब है। क्योंकि ज़िना का आम होना हदीस के



अनुसार सहृदयीमारीयों के ज्यादा होने और लोगों के खैर व वुसअ़त से महरूम (कल्याण व प्रशस्तता से वंचित) होने के अस्वाब में से है। अल्लाह तआला ही की ज़ित है जिस से मदद तलब की जायेगी। और मुहम्मद तथा उनके आल व औलाद पर अल्लाह तआला की रहमत व सलामती नाज़िल हो।

लेखक

अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अलजिबरीन  
समाप्त





# IslamHouse.com

 [Hindi.IslamHouse](#)    [@IslamHouseHi](#)    [IslamHouseHi](#)    <https://islamhouse.com/hi/>  
 [IslamHouseHi](#)

For more details visit  
[www.GuidetoIslam.com](http://www.GuidetoIslam.com)



contact us :[Books@guidetoislam.com](mailto:Books@guidetoislam.com)


 [Guidetoislam.org](#)    [Guidetoislam1](#)    [Guidetoislam](#)    [www.Guidetoislam.com](http://www.Guidetoislam.com)



**المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة**


هاتف: +966 11 4454000 - فاكس: +966 11 4457000 - ص.ب: ٤٩٤٦٥ - الرياض: ١١٤٥٧

**ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH**  
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126



## नबी ﷺ की नमाज़ का तरीका

इस किताब में है: ♦ तक्बीर से सलाम तक नमाज़ का तरीका ♦ नमाज़ के अरकान, उसके वाजिबात और उसकी सुन्नतें ♦ मद्दों पर जमाइत के नमाज़ पढ़ना वाजिब है ♦ गाने वजाने, तस्वीर कशी, दाढ़ी मुड़ाने, टख्नों के नीचे कपड़ा लटकाने और बीड़ी-सिगरेट पीने का विधान।



IslamHouse.com



Deau Center  
[www.deaucenter.com](http://www.deaucenter.com)

